प्रेस नोट दिनांक 08–10–2020

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा बिड़वी शूगर मिल नकुड़ रोड़ हाईवे पर हुई लूट की घटना का मात्र डेढ घंटे में किया खुलासा, घटना को अंजाम देने वाला 01 शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया सामान, मोटर साइकिल व अवैध असलहा/कारतूस बरामदः–

अवगत कराना हैं, कि दिनांक 07–10–2020 को समय 22:00 बजे श्री संजीव कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा, सहारनपुर से बिड़वी शूगर मिल नकुड़ रोड़ से हाईवे पर बने कट से ऊपर से मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियो ने तमंचा दिखाकर उसकी जेब से पर्स, जिसमें 5,000/–रुपये नगद, आधार कार्ड, डीएल, एटीएम व बैग जिसमें कम्पनी के बिल सम्बन्धी कागजात थे, को लूटकर ले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 433/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना नकुड़ पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 07–10–2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़, सहारनपुर के कुशल नेतृव में थाना नकुड़ पुलिस के अथक प्रयासो से उक्त घटना को अंजाम देने वाला एक शातिर लुटेरा 1–अहसान पुत्र रियासत निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड़, सहारनपुर को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित लूटा गया सामान 01 पर्स, जिसमें 25,00/–रुपये नगद, आधार कार्ड, डीएल, एटीएम कार्ड, बैग, जिसमें विद्युत सम्बन्धी कागजात, घटना में प्रयुक्त की गई स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल नं0 यूके 11 एके–1535, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस सहित समय 23:20 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 434/2020 धारा 307/392/411 भादवि, व मु0अ0सं0 435/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–अहसान पुत्र रियासत निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड़, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1– लूट का पर्स, जिसमें 2500/–रुपये नगद।
2– 01 आधार कार्ड, 01 डीएल, 01 एटीएम कार्ड।
3– 01 बैग, जिसमें विद्युत सम्बन्धी कागजात।
4– घटना में प्रयुक्त की गई एक अदद स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल नं0 यूके 11 एके–1535।
5– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने फरार अभियुक्त का नाम जिशान निवासी तिगरी थाना नकुड़, सहारनपुर बताते हुये बताया कि मैने व मेरे भागे हुये साथी जिशान उपरोक्त ने करीब डेढ घंटे पहले बिड़वी शूगर मिल नकुड़ रोड़ से हाईवे पर बने कट से ऊपर से एक व्यक्ति से नगदी, आधार कार्ड, डीएल, एटीएम कार्ड व बैग को तमंचा दिखाकर लूटा था। बरामदा सामान उसी लूट की घटना का हैं तथा लूट में हमें 05 हजार रुपये मिले थे, रुपयों को हम दोनो ने आपस में बाट लिया था। बाकि के 2500/–रुपये जिशान उपरोक्त के पास हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा है। जिसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री किरनपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना नकुड़, सहारनपुर।
2–व0उ0नि0 श्री सतीश कुमार, थाना नकुड़, सहारनपुर।
3–उ0नि0 श्री अजयवीर सिंह, थाना नकुड़, सहारनपुर।
4–उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद, थाना नकुड़, सहारनपुर।
5–का0 877 रोबिन सिंह, थाना नकुड़, सहारनपुर।
6–का0 1718 राजबीर सिंह, थाना नकुड़, सहारनपुर।
7–का0 487 अमित कुमार, थाना नकुड़, सहारनपुर।
8–का0 363 राहुल तोमर, थाना नकुड़, सहारनपुर।